अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

डीजी परिपत्र संख्या- 64 /2016 दिनांकःलखनऊःनवम्बर 5 ,2016

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रिमिनल अपील संख्या-725/2016 रमनपाल सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनॉक 26-10-2016 पारित करते हुए यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि धारा 389(1) सी0आर0पी0सी0 के प्राविधानों के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले आपत्ति पत्र एवं प्रतिशपथ पत्र अस्पष्ट,अपूर्ण एवं भ्रामक होते हैं।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है । उल्लेखनीय है कि इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर आपको इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है कि मा0 न्यायालयों में योजित किये जाने वाले प्रतिशपथ पत्र एवं आख्याऍं पूर्णतः स्पष्ट एवं तथ्यपरक हों परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप द्वारा इस सम्बन्ध में कोई रूचि नहीं ली जा रही है और मा0 न्यायालयों में प्रतिशपथ पत्र बिना परीक्षण के सरसरी तौर पर दाखिल किये जा रहे हैं ।

3- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित कर दें कि वे मा0 न्यायालयों में पूर्ण, तथ्यपरक एवं स्पष्ट आख्याऍं/प्रतिशपथ पत्र पूर्ण परीक्षणोपरॉत ही दाखिल करायें । यदि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती है तो अधोहस्ताक्षरी को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक(अपराध),मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें ।

.....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप जोन एवं परिक्षेत्र स्तर पर ऐसे प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें एवं उपरोक्त निर्देशों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करायें :-

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।